

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)  
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और  
अनुसूचित (प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक  
महोदया/महोदय

जाली नोटों का पता लगाना और रिपोर्टिंग -  
मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही की समीक्षा

हम आपका ध्यान मौद्रिक नीति 2012-13 की दूसरी तिमाही की समीक्षा के पैरा सं.126 और 127 (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करते हैं जिसके अनुसार बैंकों द्वारा उनके स्तर पर पाये गये जाली नोटों की जब्ती से चूकने के मामले को जाली नोटों के संचलन में संबंधित बैंक की स्वैच्छिक भागीदारी माना जाएगा ।

2. आपको सलाह दी जाती है कि आप तुरंत एक उपयुक्त प्रणाली स्थपित करें जिसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जाली नोटों का पता चलने पर उन्हें विधिवत जब्त करना और रिपोर्ट करना सुनिश्चित हो ।

3. उपर्युक्त निर्देशों के पालन में कोई भी चूक होने पर, 19 नवंबर 2009 के हमारे निदेश सं.3158/09.39.00(नीति)/2009-10 के उल्लंघन के लिए बैंक पर दंड लगाया जाएगा ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(बी.पी. विजयेन्द्र)

मुख्य महाप्रबंधक

अनु:एक

## मुद्रा प्रबंध (करेंसी मैनेजमेंट)

126. नकली नोटों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, बैंक में ऐसे नोटों को पहचानने में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। ऐसे प्रशिक्षित लोगों का काउंटरों पर होना न केवल नकली नोटों को पकड़/पहचान के लिए जरूरी है बल्कि यह जनता के लिए जागरूकता केंद्र का काम भी करता है। हालांकि, रिज़र्व बैंक व अन्य बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, परंतु उभरते हालातों को देखते हुए ये पर्याप्त नहीं लगते हैं। बैंकों के साथ परामर्श करके आईबीए यह सुनिश्चित करेगा कि कैश की हैंडलिंग करने वाले सभी बैंक कर्मी 3 वर्ष की अवधि के भीतर असली भारतीय बैंक नोटों की विशेषताओं में ट्रेड हों। इस संबंध में रिज़र्व बैंक भी संकाय सहयोग (फैकल्टी सपोर्ट) और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा।

### *नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग*

127. यह पहले ही कहा गया है कि ₹ 100 और इससे अधिक मूल्य-वर्ग के बैंक नोट रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली मशीनों से प्रोसेस करने के बाद काउंटरों पर एटीएमों के जरिये जारी किए जाएं। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है कि नकली नोट बैंक/ब्रांच स्तर पर ही पकड़ लिए जाएं, और इस प्रकार उन्हें दुबारा चलन में आने से रोका जा सके। यह भी पाया गया है कि उपर्युक्त कार्रवाइयों और इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) फाइल करने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के बावजूद बैंकों द्वारा नकली नोटों को पकड़ने व तत्पश्चात उसकी रिपोर्टिंग पर्याप्त नहीं हो रही है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि रिज़र्व बैंक चलन में नकली नोटों की संख्या और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव का आकलन कर पाने की स्थिति में नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, बैंको को कहा जाता है कि:

- वे यह सुनिश्चित करें कि काउंटरों पर प्राप्त नोटों को फिर से चलन में तभी लाया जाए जब मशीनों द्वारा समुचित रूप से उनकी सत्यता जाँच ली गई हो; और
- अपनी व्यवस्था को इतना दुरुस्त रखें कि वे नकली नोटों के जोखिम को झेलने के लायक हों न कि
- आम आदमी पर इसका बोझ पड़े जिसके पास अनजाने में ऐसे नोट आ जाते हैं।